का पेश था।

30/8/24 | पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप० मूल वाद आर्डर 7 R 11 स्वीकार कर खारिज किया जा चुका है। इसलिए अब T.I प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है अतः मूल वाद आर्डर 7 R 11 मे खारिज होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा जारी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक